

Ref .: \_

Date :

To, **The B. S. A.,** Ballia, U.P.

**Subject:-** Intimation application made for seeking provisional affiliation up to Secondary level with CBSE, New Delhi.

Respected Sir/Madam,

I am directed to invite your kind attention on the subject cited above and to state that our school, Jamuna Ram Memorial School, Manpur, Chitbaragaon, Ballia, U.P. (221713) organised by Jamuna Ram Memorial Trust has got recognition (Patrank/Basic/310/5060-63/2019-20, Dated: 03-08-2019) from the State Education Department up to class – VIII from 01-07-2015 to 30-06-2018. Now, the trust wishes to upgrade the school up to Secondary level to get affiliation with Central Board of Secondary Education (C.B.S.E.), New Delhi.

In this connection, I beg to inform you that our school is already recognized up to 8<sup>th</sup> classes with the state Education Department and we wish to apply for provisional affiliation up to secondary level with CBSE, New Delhi.

This is for your kind information for **No Objection**, please.

Thanking You.

## **Enclosure**:

- **1.** Copy of Recognition letter of the State Education Department.
- 2. Copy of CBSE circular dated: 08-07-2013



Phone: 011-22520242 (Technical Query) Phone: 011- 22528257 (General Queries Reg. Affl.) \ Fax: 011-22540655 E-Mail: cbse.aff@nic.in Website: www.cbse.nic.in Affiliation Website: www.cbseaff.nic.in

## CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

रामिक

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development Govt. of India) "SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI – 110 301

> REGD./SPEED POST Circular No. 10

No. CBSE/AFF./Circular/2013

Dated: 08.07.2013

To,

All the Principals of the schools affiliated to the CBSE

Sub:- Amendment in affiliation Bye-laws Rule 3.3(I) chapter II-reg.

Sir/Madam,

Consequent upon recommendations of the Affiliation Committee made in its meeting held on 24.06.2013 and subsequently approval of the Governing Body of the Board in its meeting held on 28.06.2013, the following amendment in affiliation Bye-laws of the Board has been made by the Board:


Existing Rule 3.3 (I) chapter II	Amended Rule 3.3 (I) chapter II
The school seeking provisional affiliation with the	The school seeking provisional affiliation with the
Board must have formal prior recognition of the	Board must have formal prior recognition of the
State/U.T. Govt. Its application either should be	State/U.T Govt. and also to produce evidence to this
forwarded by the State Govt. or there should be a	effect that the applicant school had intimated to the
No Objection Certificate to the effect that State	concerned Education Department of the State about
Government has no objection to the affiliation of	the application made to CBSE for seeking affiliation
the school with the CBSE. "No Objection Certificate"	with the Board. In case, the Board receives any
once issued to any school will be considered at par	objection during the process of application of the
even if it s prescribes a specific period of *stage	school, the Board may ask the concerned school to
unless it is withdrawn. Condition of submitting a No	produce the No Objection Certificate from the State
Objection Certificate will not be applicable to	Government or otherwise it would be assumed that
categories 3.1(i) to (iv)	concerned State/U.T. Government has No
	objection.


The above amendment is brought to the notice of all concerned.

faithfully, UCBODH) DEPUTY SECRETARY (AFF

Copy for information to the following:

- 1. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18- Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New-Delhi-110016.
- 2. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, B-15, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201307, District Gautam Budh Nagar, (Uttar Pradesh).
- **3.** The Director of Education, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi-110054.





83127 एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

बलिया। सेवा में,

प्रबन्धक.

जमुना राम मेमोरियल स्कूल मानपुर, चितबड़ागाँव

शिक्षा क्षेत्र- सोहाँव, बलिया।

पत्रांक: 310 5060-63 /2019-20 दिनांक 63-0-2019

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 की प्रायोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 के नियम-15 के

उपनियम-(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

lanage

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-419/79-6-2013-18 एस (7)/89 दिनांक 8 मई 2013 के अनुपालन में आपके विद्यालय को कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक दिनांक 01.07.2015 से दिनांक 30.06.2018 तक इस कार्यालय के पत्रांक/28826-29/2015-16 दिनांक 27.01.2016 द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए औपबन्धिक मान्यता सम्प्रेषित किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी जॉच एवं संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा निर्गत राजाज्ञा सं0-419/79-6-2013-18 एस (7) 79 दिनांक 8 मई 2013 के प्रस्तर 15 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा कक्षा प्री प्राइमरी नर्सरी से कक्षा 8 तक की औपबन्धिक मान्यता प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के भविष्य में विद्यमान रहने के अधीन होगी।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शतों को पूरा किये जानें के अध्यधीन है :--

- मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता / सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं हैं।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) और उ०प्र० निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धो का पालन करेगा।
- 3.विद्यालय कक्षा —1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 (पच्चीस) प्रतिशत तक आस—पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधाविहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेंगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पुरा हों जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता--पिता या संरक्षक को किसी सिक्रनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा।
  - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम—25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण—पत्र दिया जायेगा।

Aअधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्याथियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1) के अधीन यथा अधिकशिम rings and start की अर्हताओं के साथ की जाती हैं। इसका अनिवार्यतः पालन किया जाख्नेता da Ram Memorial School

- अध्यापक अधिनियम की धारा-24 (1) के अधीन विर्निदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेगा।
- 7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा विर्निदिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों को बनायें रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:--
  - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल : 93735.04 वर्ग फुट
  - कुल निर्मित क्षेत्र
    : 15500 वर्ग फुट
  - क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल
    : 76235.04 वर्ग फुट
  - कक्षाओं की संख्या
    : 22
  - प्राध्यापक सह कार्यालय -- 1
  - अ सहमण्डार के लिए कक्ष 1 उपलब्ध है।
  - जालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौधालय-उपलब्ध है।
  - थेयजल उपलब्ध है।
  - मीड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई-उपलब्ध है।
  - बाधा रहित पहुँच-सुनिश्चित की गयी है।
  - अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता-उपलब्ध हैं।
- 9. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय यो नाम से कोई गैर भान्यता प्राप्त कथाएं नहीं चलायी जायेगी।
- 10. विद्यालय नवन या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
- 11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) में अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा हैं।
- 12. स्कूल को किसी व्याष्टि, व्यक्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा हैं।
- 13. लेखाओं की सम्परीक्षा (आडिट) और प्रमाणन किसी चार्टड एकाउन्टेंन्ट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुधित लेखा दिवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा दिवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक गिक्षा अधिकारी को प्रैषित की जानी चाहिए।
- 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोई संख्यांक : 480/2019 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्र व्यवहार के लिए इस संख्यांक उल्लेख करें।
- 15. विद्यालय ऐसी रिपोंट और सूचना प्रस्तुत करेंगा जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो/और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता हैं जो मान्यता सम्बन्धी शतों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने यो विद्यालय की कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
- 18. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायें।
- 17. विद्यालय प्रबन्धन / न्यास और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करेगा।
- 18. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

र गुज्ला) सिहार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बालया

पृ०सं० व दिनांक उंगरोक्तानुसार। प्रतिलिपिः– निम्नांकित अधिकारियों को सेया में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़।

- 2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया।
- खप्ड शिक्षा अधिकारी शिक्षा क्षेत्र : सोहाँव , बलिया।

12

(सुबास गुप्ता) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया

Principal Jamuna Ram Memorial School Chitbaragaon, Ballia